

संख्या 13018/1/85-स्था० {छुट्टी}

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार
और लोक शिवायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- तदर्थ कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी- स्पष्टीकरण ।

मुझे यह रहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को इस आशय के स्पष्टीकरण प्राप्त करने संबंधी अनेक संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा {छुट्टी} नियमावली, 1972 के अधीन तदर्थ कर्मचारी छुट्टी प्रसुविधाओं के हकदार हैं । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारी जो सरकार के अधीन किसी नियमित पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा {छुट्टी} नियमावली, 1972 द्वारा शासित नहीं होते हैं इसलिए वे उसमें उल्लिखित, किसी भी प्रकार की छुट्टी के हकदार नहीं हैं । फिर भी, ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग से प्रावधान बनाने संबंधी एक प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन है । जब भी इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा, उसकी सूचना सभी संबंधित विभागों को यथासमय दे दी जाएगी ।

Amrinder Singh

{एत०एस० राव}

निदेशक 129/85

टेलीफोन नं० 3015272

सेवा में,

{सूची में दिए अनुसार} ।